

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/2019/353

दिनांक 19-07-20

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स प्रथम/नर्सिंग द्यूटर जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे / पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	सुबेदार सिंह यादव	नर्स प्रथम	जयपुर	24.03.1992	24.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
2.	महेन्द्र सिंह चौधरी	पीएचएन	जयपुर	28.02.1992	28.02.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
3.	शम्भू दयाल यादव	पीएचएन	जयपुर	28.02.1992	28.02.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
4.	ज्ञान प्रकाश कुमावत	नर्स प्रथम	जयपुर	02.04.1992	02.04.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
5.	रामलाल परेवा	नर्स प्रथम	जयपुर	12.03.1992	12.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
6.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	30.03.1992	30.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
7.	रजा साबरी	पीएचएन	टोंक	03.03.1992	03.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
8.	कानाराम चौधरी	नर्स प्रथम	पाली	09.03.1988	09.03.2015 27 वर्ष	15600-3910 0	6000
9.	ओमप्रकाश जॉंगिड	नर्स प्रथम	जोधपुर	30.05.1989	30.05.2016 27 वर्ष	15600-3910 0	6000
10.	विरेन्द्र कुमार लुनिवाल	नर्स प्रथम	सिरोही	24.09.1993	24.09.2011 18 वर्ष	9300-34800	4200
11.	राजेश दाधीच	नर्स प्रथम	जोधपुर	18.07.1988	18.07.2015 27 वर्ष	15600-3910 0	6000
12.	शब्बीर अली	नर्स प्रथम	सीकर	27.12.1990	27.12.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
13.	महावीर प्रसाद कुमावत	नर्स प्रथम	सीकर	16.03.1992	16.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14

14.	मोहम्मद आसिफ चौहान	नर्स प्रथम	सीकर	16.08.1991	16.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
15.	श्रीराम फोगावट	नर्स प्रथम	सीकर	19.08.1991	19.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
16.	राजेन्द्र सिंह	नर्स प्रथम	सीकर	12.01.1991	12.01.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
17.	दिनेश कुमार गुप्ता	नर्स प्रथम	दौसा	29.02.1992	01.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिको का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

-sd-  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक: 25.07.2018

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/2019/353  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर